स्मार पत्र बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

पत्रांक-पि०व० / छात्रा०नि०प्र०सं०-४५-०३ / २०१६- 539. अ१९०

प्रेषक,

पूनम कुमारी, उप निदेशक।

सेवा में.

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, बिहार, सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक- 1*0*/08/2023

विषय:— पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में 'मोजनशाला समिति (मेस कमेटी)' के संचालन एवं खान—पान की व्यवस्था के संबंध में।

प्रसंग:- (i) मार्गदर्शिका पत्रांक-102, दिनांक-21.06.2022, पत्रांक-103, दिनांक-21.06.2022

(ii) विभागीय पत्रांक-192, दिनांक-28.07.2022 एवं 16, दिनांक-10.01.2023

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में खान—पान की व्यवस्था के संबंध में मार्गदर्शिका के उल्लेख दिशा—निदेश के आलोक में कमरें में भोजन बनाने को निसिद्ध करते हुए छात्रावासों में नियमित रूप से भोजनशाला समिति के माध्यम से मेस का संचालन सुनिश्चित करने को निदेशित था परन्तु कुछजिलों के छात्रावासों में विभागीय निदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

अतः विभागीय पत्रांक—16, दिनांक—10.01.2023 संलग्न करते हुए मार्गदर्शिका के खंड—10(ii)A में अंकित ''छात्रावास के कमरों में भोजन बनाना प्रतिबंधित होगा'', के आलोक में सभी छात्रावासों में नियमित रूप से भोजनशाला समिति के माध्यम से मेस का संचालन शीघ्रतापूर्वक सुनिश्चित की जाय।

इसे अति आवश्यक समझा जाय।

अनु0—यथोक्त।

वेश्कासभाजन,

उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व० / छात्रा०नि०प्र०सं०-45-03 / 2016- 539

पटना, दिनांक- 10/08/202**3**

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उप निदेशक।

ज्ञापांक- पि०व० / छात्रा०नि०प्र०सं०-४५-०३ / २०१६- 💈 🛂

पटना, दिनांक- 10/08/ 2023

प्रतिलिपि:— सभी छात्रावास अधीक्षक / छात्रावास परामर्शी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

बिहार सरकार पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पत्रांक-पि०व० / छात्रा०नि०प्र०सं०-४५-०३ / २०१६- १६, भनुष

प्रेषक.

डॉ वीरेन्द्र प्रसाद यादव, _{भा०प्र०से०} निदेशक।

सेवा में.

सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, बिहार, सभी जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक- 10/01/2023 विषय:-पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण छात्रावासों में 'मोजनशाला समिति (मेस कमेटी)' के संचालन एवं खान-पान की व्यवस्था के संबंध में।

प्रसंग:-(i) मार्गदर्शिका पत्रांक-102, दिनांक-21.06.2022, पत्रांक-103, दिनांक-21.06.2022

(ii) विभागीय पत्रांक-192, दिनांक-28.07.2022 महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में खान-पान की व्यवस्था के संबंध में निर्देश निर्गत किए गए हैं एवं भोजनशाला समिति (मेस कमेटी) का गठन करते हुए खान—पान की जवाबदेही भोजनशाला समिति को सौंपने का प्रावधान किया गया है। इस संबंध में मार्गदर्शिका के खंड-10(ii)A में यह प्रावधान किया गया है कि ''छात्रावास के कमरों में भोजन बनाना प्रतिबंधित होगा''। वर्त्तमान में कई छात्रावासों में छात्रों के द्वारा कमरे में ही रहने के साथ-साथ भोजन बनाया जाता है एवं ज्वलनशील पदार्थों (यथा-गैस) का भी भंडारण किया जाता है। कमरे में आग जलाने के साथ भोजन बनाने के क्रम में अविशष्ट को यत्र-तत्र विसर्जित करने से कमरे का माहौल स्वच्छ (Hygienic) नहीं रहता है एवं ज्वलनशील पदार्थों के कारण दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। खाना बनाने के बाद वर्त्तन साफ करने में प्रायः बाथरूम या आँगन का उपयोग करने से अवशिष्ट प्रवाह के कारण वहाँ के नाले को भी खराब होने की संभावना बनी रहती है।

अतः यह आवश्यक है कि सभी छात्रावासों में नियमित रूप से भोजनशाला समिति के माध्यम से मेस का संचालन शीघ्रतापूर्वक सुनिश्चित की जाय, तािक कमरे का माहौल स्वच्छ एवं सुरक्षित बन सके। अनु०— यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ज्ञापांक- पि0व0 / छात्रा0नि0प्र0सं0-45-03 / 2016- *16*

पटना, दिनांक- 10/01/202

प्रतिलिपि:- सभी जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ज्ञापांक- पि0व0 / छात्रा0नि0प्र0सं0-45-03 / 2016- *16*

पटना, दिनांक- /*७/०*/1202 प्रतिलिपि:- सभी छात्रावास अधीक्षक / छात्रावास परामर्शी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।